दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 12 अगस्त 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 313

महत्वपूर्ण एवं खास

दिव्यांग महिलाओं के साथ बढ़ीं दरिंदगी के 116 केस : केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2019 में देश में दिव्यांग महिलाओं के साथ दुष्कर्म के 116 केस दर्ज किए गए। इन महिलाओं में मनोरोगी व शारीरिक रूप से अपंग महिलाएं शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। उनसे विकलांग महिलाओं पर यौन व घरेलू हमलों को लेकर सवाल किया गया था। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 195 मामलों में सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमे चलाने के लिए अनुमति मांगी। 2016 के बाद से ऐसे 1973 मामलों में इजाजत मांगी गई। इस दौरान 129 मामलों में मंजूरी दी गई।

हाईवे निर्माण में सौ किमी प्रतिदिन निर्माण चाहते हैं गडकरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास देश के लिए बहुत अहम है और उनका टारगेट हाईवे निर्माण में 100 किलोमीटर प्रतिदिन की गति पाना है। इंडस्ट्री बॉडी सीआईआई की ओर से आयोजित एक वर्चुअल इवेंट में सड़क, परिवहन और हाईवे मंत्री ने कहा की लेटलतीफी और फैसले लेने में देरी, देश की बड़ी समस्या है। गडकरी ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर (विकास) देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी में भी हमने एक दिन में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2020-21 में हाईवे निर्माण की गति बढ़कर रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। मंत्री ने आगे कहा कि लेकिन वह मौजूदा प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं। गडकरी ने यह भी जोड़ा कि उनका लक्ष्य प्रतिदिन 100 किलोमीटर हाईवे निर्माण की गति को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश समयबद्ध, लक्ष्य केंद्रित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम है। अपनी साफगोई के लिए मशहूर गडकरी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर प्रॉजेक्ट में देरी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर यदि अपना बैंक या वित्तीय संस्तान बदलना चाहता है तो एनएचएआई से एनओसी लेने में 3 महीने से 1.5 साल तक का समय लगता है, हम इसे 2 घंटे में सभव बना सकते हैं, तो इसमें 1.5 साल का समय क्यों लगता है। वह अधिकारियों से यह पूछते हैं कि उन्होंने आगे कहा कि दिक्कत इस बात की है कि नौकरशाही सिस्टम समय का मतलब नहीं जानता है।

अगले साल 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगा नया संसद भवन

नई दिल्ली(आरएनएस)। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो अगले साल 15 अगस्त से पहले देश को नया संसद भवन मिल जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को बताया कि नए संसद भवन का निर्माण अगले वर्ष 15 अगस्त से पहले पूरा होने की उम्मीद है। नए संसद भवन के निर्माण का कार्य जारी है और अनुमान के मुताबिक, नए संसद भवन के निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में संसद के नये भवन का भूमि पूजन किया था। नये संसद भवन के निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। बीते दिनों राज्यसभा में सरकार ने अब तक हुए खर्च का ब्योरा दिया और कहा कि नए संसद भवन पर 238 करोड़ खर्च हुए हैं। राज्यसभा सदस्य जीसी चंद्रशेखर और राजमणि पटेल के सवाल के जवाब में आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री कौशल किशोर शर्मा ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। दोनों सदस्यों ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और नए संसद भवन पर होने वाले खर्च और इनके पूरा होने की समयावधि की जानकारी मांगी थी। केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर कुल 1289 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दोनों प्रोजेक्ट्स में खर्च होने वाली रकम का बंटवारा नहीं किया गया है। यहां पर होने वाले नए निर्माण में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए भवन, उपराष्ट्रपति एंक्लेव, सेंट्रल कांफ्रेंस सेंटर, दस कॉमन सेक्रेट्रिएट भवन आदि शामिल हैं। नए भवन का निर्माण मौजूदा भवन के सामने किया जा रहा है। पुराने संसद भवन का निर्माण 94 साल पहले लगभग 83 लाख रुपये में किया गया था।

संसद से मिली ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी, लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी लगाई मुहर

» इस विधेयक पर सरकार को मिले समूचे विपक्ष का समर्थन

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है। संसद के उच्च सदन में मौजूद सभी 186 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। इससे पहले लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दी थी। अब इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून के तौर पर लागू हो जाएगा।

लोसभा में चर्चा के बाद पारित ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया गया, जिसे लंबी चर्चा के बाद सर्वसम्मिति से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा कोटे को सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद केंद्र सरकार यह विधेयक लाई थी।

मराठा आरक्षण पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से इस तरह किसी भी समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। अदालत के इस फैसले से महाराष्ट्र में मिला मराठा आरक्षण खारिज हो गया था और राज्य में आंदोलन शुरू हो गए थे। इसके बाद सरकार यह बिल लाई है। इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की राह आसान होगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी प्रदेश सरकारों को अपने मुताबिक सूची तैयार करने का अधिकार मिलेगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को भी खत्म करने की मांग की।

इससे पहले लोकसभा में भी विपक्षी दलों ने जातिवार जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा को समाप्त करने की मांग की थी। लोकसभा में यह विधेयक पारित हुआ था और उसके बाद उसे अनिश्चितकाल यानी अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया है। सदन में लगातार जारी हंगामे के बीच ओबीसी बिल पर ऐसा पहली बार देखने को मिला, जब संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई और बिना किसी बाधा के कामकाज हुआ। दोनों ही सदनों से ओबीसी विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया है। दोनों सदनों के किसी भी सदस्य ने इस बिल का विरोध नहीं किया।

आठ हफ्ते में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के खाली पद भरें राज्य : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में खाली पदों को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को आयोग में खाली पदों को आज से आठ हफ्ते के अंदर भरने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को भी 8 हफ्ते के अंदर आयोग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश हृषिकेश रॉय की पीठ ने उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों के मुद्दे को हल करने के लिए अदालत द्वारा दर्ज एक स्वतः संज्ञान मामले में यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों ने यह बहाना दिया है कि केंद्र सरकार के परामर्श से पदों की संख्या को मंजूरी नहीं दी गई है, इसलिए भर्तियों को रोक दिया गया है। कोर्ट ने राज्यों के तर्क यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 42 के आदेश के अनुसार सदस्यों की संख्या 4 से अधिक होने पर ही केंद्र सरकार से परामर्श की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह एक विधायी जनादेश है और यदि संख्या चार से अधिक होगी तो ही केंद्र सरकार से परामर्श की आवश्यकता होती है। यदि राज्य को लगता है कि संख्या चार होनी चाहिए, तो यह अध्यक्ष और अनिवार्य चार सदस्य की नियुक्ति को पटरी से उतारने का कारण नहीं हो सकता है।

पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने से नाराज मां ने मासूम को उतार दिया मौत के घाट, खुद भी लगाई फांसी

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के नासिक में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला द्वारा कथित तौर पर अपने साढ़े 3 साल के बच्चे की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली गई। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज एक मां ने अपने साढ़े तीन साल के बेटे की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसे पश्चाताप हुआ तो उसने खुद भी फांसी लगा ली। मामले की जांच कर रहे सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि, शिखा ने तकिये से मुंह दबा कर अपने बेटे की हत्या की थी। इस मामले में हत्या और आत्महत्या का केस दर्ज किया गया है।

नासिक पुलिस के मुताबिक यह घटना पाथर्डी फाटा इलाके के साईं सिद्धि अपार्टमेंट की है। 30 साल की शिखा सागर पाठक का शव फंदे से लटका मिला। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि इन दोनों मौतों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। महिला ने सुसाइड नोट में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि बेटे की हत्या उसने ही की है। हालांकि, दोनों की लाश कमरे के अंदर थी। कमरा बाहर से बंद था और बच्चे की नाक से खून बह रहा था। महिला के माता-पिता ने भी अपने नाती की हत्या किए जाने की पुष्टि की है।

लोकसभा में मॉनसून सत्र में सिर्फ 21 घंटे ही चली कार्यवाही

» विपक्ष के हंगामे के कारण 22 फीसदी हो पाया काम

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के मॉनसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी मामला, तीन केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर-शराबे के कारण पूरे सत्र में सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 22 प्रतिशत काम ही हो सका।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि 17वीं लोकसभा की छठी बैठक 19 जुलाई 2021 को शुरू हुई और इस दौरान 17 बैठकों में 21 घंटे 14 मिनट कामकाज हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में कामकाज अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। बिरला ने बताया कि रुकावटों की वजह से 96 घंटे में करीब 74 घंटे कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लगातार रुकावटों के कारण महज 22 प्रतिशत कामकाज ही हो पाया। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान संविधान (127वां संशोधन) विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किए गए। चार नए सदस्यों ने शपथ ली। बिरला ने बताया कि मॉनसून सत्र के दौरान 66 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए और सदस्यों ने नियम 377 के तहत 331 मामले उठाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न स्थायी समितियों ने 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, 22 मंत्रियों ने वक्तव्य दिए और काफी संख्या में पत्र सभापटल पर रखे गए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान अनेक वित्तीय एवं विधायी कार्य निष्पादित किए गए। इससे पहले बिरला ने सदन को चार पूर्व सदस्यों के निधन की जानकारी दी और उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के वक्तव्य के बाद वंदे मातरम की धुन बजाई गई और सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

देश में ढ़लान से फिर बढ़ा कोरोना ग्राफ

» 24 घंटों में 38,353 नए मामले, सक्रीय मरीज में कमी

नई दिल्ली (आरएनएस)। पिछले कई दिन से ढ़लान पर चल रहे कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से उछाल दर्ज किया। इसी उतार चढ़ाव के कारण तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में देशभर में कोरोना के 38,353 मामले सामने आए। हालांकि कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है जिससे रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.45 प्रतिशत पहुंच गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल कोरोना के 3,46,351 सक्रीय मामले हैं, जो 140 दिनों में सबसे कम हैं। पिछले एक दिन में दर्ज किये गये मामले पिछले दिन के मुकाबले दस हजार से ज्यादा सामने आए हैं, अब तक देश में कोरोना के कुल 3,12,20,981 मामले आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 40,013 कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश का साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट अभी 5 प्रतिशत से नीचे हैं। देश की वर्तमान सकारात्मकता दर 2.34 प्रतिशत है। हालांकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट पिछले 16 दिनों से 3 प्रतिशत से नीचे ही बना हुआ है वर्तमान में यह 2.16 प्रतिशत है।

नौ राज्यों में तेजी से बढ़े मामले- मंत्रालय के अनुसार कि पिछले दो सप्ताह में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों के 37 जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। इनमें केरल के 11 जिले और तमिलनाडु के सात जिले शामिल हैं। इसके अलावा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 44 जिलों में साप्ताहित सकारात्मकता दर 10 फीसदी से अधिक है।

नमूनों में डेल्टा प्लस वेरिएंट- भारत में नौ अगस्त तक 86 नमूनों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 34 नमूने महाराष्ट्र के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 28,204 नए मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा पिछले 147 दिनों में सबसे कम है। देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या अब तीन करोड़ 19 लाख 98 हजार 158 हो गई है।

श्रद्धालुओं का वाहन खाई में गिरा, 4 की मौत

बड़वानी(आरएनएस)। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में श्रद्धालुओं से भरा वाहन एक खाई में जा गिरा। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार, सुबह धार के तवलाई गांव से मन्नत पूरी होने पर नागलवाड़ी पहाड़ी पर भीलटदेव दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की वाहन पीछे खसकते हुए पहाड़ से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा तब हुआ, जब पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान अंधे मोड़ पर पिकअप के सामने बाइक आ गई और पिकअप चालक का वाहन पर से संतुलन बिगड़ गया। इसमें धार जिले के तहसील मनावर के ग्रामो के श्रद्धालु सवार थे, इस दुर्घटना में चार लोगो की मृत्यु हुई एवं 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय बड़वानी लाकर भर्ती करवाया गया है।

इस हादसे में टवलाई की 16 वर्षीय राजनंदनी जामन्या की 35 वर्षीय किरण सोलंकी, जामन्या का 20 वर्षीय दिलीप, टवलाई का 12 वर्षीय जतिन डावर की मौत हुई है, जबकि अन्य 11 घायल हुए हैं।

कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर जहां घायलों को सांत्वना दी, वहीं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को समुचित उपचार निःशुल्क कराने के भी निर्देश दिए।

नागलवाड़ी मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष दिनेश यादव ने नागलवाड़ी समिति के माध्यम से दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को पांच-पांच हजार रुपये व घायलों को दो-दो हजार रुपये की राशि देने की घोषणा की है।

राज्यपाल उइके की पीएम मोदी से नक्सलवाद, पांचवी अनुसूची जैसे मुद्दो पर हुई चर्चा

» 'कोरोना काल में राज्यपाल की रचनात्मक भूमिका' पुस्तिका भेंट की

नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को 'कोरोना काल में राज्यपाल की रचनात्मक भूमिका' पुस्तिका भेंट की। वहीं प्रधानमंत्री के साथ उनकी छत्तीसगढ़ में वर्षा और कृषि की स्थिति, नक्सलवाद, पांचवी अनुसूची, परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण इत्यादि विषयों पर चर्चा की। जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलवाद की गंभीर समस्या के समाधान के लिए राज्यपाल ने पीएम से ठोस कदम उठाने पर बल दिया।

राज्यपाल उइके ने पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में मेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया।

साथ ही कहा कि मेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। राज्यपाल ने जनजातियों को भूमि विक्रय में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया और समस्या के समाधान करने की आवश्यकता जताई। इसके अलावा प्रधानमंत्री वनवासी किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री निःशुल्क नमक वितरण योजना, केन्द्रीय योजनाओं का लाभ, स्थानीय वनवासी युवाओं की शासकीय सेवाओं के वर्ग 3 एवं 4 में भर्ती हेतु जिला संवर्ग के पद, वनवासियों की कृषि भूमि का प्रबंधन, ट्राईफेड का सशक्तीकरण, लघु वनोपजों की खरीदी, व्यक्तिमूलक योजनाओं को बढ़ावा देना, वन संरक्षण अधिनियम की समीक्षा, वनवासी युवाओं को आगे लाने हेतु निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था सहित विभिन्न बिन्दुओं पर भी चर्चा की।

सुश्री उइके ने प्रधानमंत्री को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन सुधारों के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेजा जा चुका है और जनगणना महानिदेशक एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा प्रेषित कर दी गई हैं। जनजातीय विभाग द्वारा विधेयक प्रस्तुतीकरण एवं पारित कराना शेष है। राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया।

राज्यपाल ने उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल के चार जिलों चन्दौली, कुशीनगर, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर जनजाति जिलों में शामिल करने का भी अनुरोध किया। राज्यपाल ने निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में स्थापित होने वाली उत्खनन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बदले भूमिस्वामी को उस परियोजनाओं के लाभांश में शेयर होल्डर बनाने या भूमि के उपयोग के लिए वार्षिक या मासिक किराया देने के संबंध में भी चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया।